न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2021

प्रार्थी

1. निम्बाराम पुत्र करनाराम जाति पुरोहित निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. कुशलाराम पुत्र पुनमाराम
2. केसा पुत्र मनजी
3. कालुभाई पुत्र पुनमाराम
4. छगना पुत्र भीखा
5. छोगा पुत्र मनजी
6. जीवा पुत्र भीखा
7. मृतक तलका पुत्र मनजी के कायम मुकाम वारीसान :–
   7/1. हका पुत्र तलका
   7/2. गीता पुत्री तलका
   7/3. पंखु पुत्री तलका
8. दलपतराम पुत्र पुनमाराम
9. प्रताप पुत्र पुनमाराम
10. बाबुराम पुत्र पुनमाराम
11. मणीबेन पुत्री पुनमाराम
12. सामती पुत्र भीमा जातियान मेधववाल निवासीयान धामसीन तहसील रानीवाडा जिला–जालोर
13. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
14. जालोर सहकारी भुमि विकास बैक लिमिटेड शाखा रानीवाडा जरिये सचिव
15. एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी 2 से 6, 8 से 10, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
3. अप्रार्थी संख्या 13 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक – 28.04.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के

अनुसार इस प्रकार है कि मौजा मेडककलां तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 784 रकबा 1.38 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 784 रकबा 1.38 हैक्टर के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के नवीन खसरा नबंर 3 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 4 रकबा 6.37 हैक्टर जुमले रकबा 6.38 हैक्टर आई हुई है। उपरोक्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी मौजा मेडककलां के खसरा नबंर 784 रकबा 1.38 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी मौजा धामसीन के नवीन खसरा नबंर 3 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 4 रकबा 6.37 हैक्टर जुमले रकबा 6.38 हैक्टर सीमा को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा आदेश क्रमांक 61 दिनांक 4.11.2020 के तहत पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 8.11.2020 को हल्का पटवारी जोडवास, हल्का पटवारी बडगांव व भु–अभिलेख निरीक्षक बडगांव पैमाईश हेतु मौके पर आये तथा मौके पर उक्त खसरे का मौका मुआयना कर सीमा ग्राम धानोल व धामसीन के सीमा मेडककलां के मुस्तकील बिन्दु दोही दे पत्थर को कायम बिन्दु मानकर उक्त खसरे के चारों माठो पर जरीब चलाकर खसरा नबंर 784 का सीमा ज्ञान करवाया, परन्तु उक्त खसरे की सीमा माठ ग्राम मौजा सरहद धामसीन से लगती है। जहां पर आपसी दो गांवो धामसीन व मेडककलां के माठो में विवाद होने के कारण पडौसी खातेदारों द्वारा एतराज जताया गया। मौका फर्द बनाई जाकर पढकर सुनाने के बाद हस्ताक्षर व अंगुष्ठान करवाये गये, परन्तु पडौसी खातेदारों ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करने से मना कर दिया। मौका फर्द दिनांक 8.11.2020 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं होने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 माठ का विवाद बनाकर प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गडढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1, 7/1 से 7/3, 11, 14, 15 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 6, 8 से 10 व 12 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2 से 6, 8 से 10 व 12 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विवादित आराजी मौजा मेडककलां के खसरा नबंर 784 रकबा 1.38 हैक्टर पुर्व के खातेदार भीमसिह पुत्र भीखसिह जाति राजपुत निवासी धामसीन से सन् 2020 में खरीद की है तथा भीमसिह व अप्रार्थीगण के बीच सीमा विवाद होने पर आ[illegible] पटवारी द्वारा पैमाईश करवा कर पत्थर गडढी करवा कर सीमा पर छीणे [illegible] जो भी मौके पर मौजुद है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग [illegible] करने [illegible] आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा विवादीत आराजी तीन [illegible] की सरहद पर आयी हुई है। प्रार्थी के द्वारा विवादीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

आराजी को खरीद करने के बाद भुमि पैमाईश करवाने के लिये अप्रार्थीगण को कभी कहा ही नहीं है तथा अप्रार्थीगण की आराजी सिंचित है तथा प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना में उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 8.11.2020 को हल्का पटवारी जोडवास, हल्का पटवारी बडगांव व भु–अभिलेख निरीक्षक बडगांव द्वारा पैमाईश करवाया गया है जो सरासर गलत है क्योकि अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों के खेतो में फसल खडी होने से पैमाईश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता तथा अप्रार्थीगण के द्वारा हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करने से मना करना सरासर गलत है। प्रार्थी व राजस्व अधिकारीयों ने मिलीभगत कर पैमाईश मौका फर्द गलत बनाकर न्यायालय में पेश किया है तथा बार–बार न्यायालय का समय जाया करने व न्यायालय को पत्थर गडढी व सीमाज्ञान हेतु बरगलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कृ प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा पुर्व के खातेदार से विवादित आराजी खरीदी हुई है। तथा पुर्व के खातेदार भीमसिह के द्वारा भुमि की पैमाईश का सीमाज्ञान को लेकर विवाद नही होने प्रार्थना पत्र काबिज खारीज है। प्रार्थी के द्वारा मौजा मेडककलां के खेत खसरा नबंर 784 को धामसीन निवासी भीमसिह से खरीद किया हुआ है तथा भीमसिह के द्वारा भुमि की पैमाईश करवा कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर पत्थर गडढी करवाकर छीणों के टुकडे लगाये हुये है। इस प्रकार से उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान का विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिज खारीज है तथा अप्रार्थीगण की आराजी का पुराने रेकर्ड के अनुसार पैमाईश करवाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

4. अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा जवाब दिया गया जिनके तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मेडककलां के खसरा नम्बर 784 रकबा 1.38 हेक्टेयर की भूमि खातेदार साकिन धानोल के नाम से व मौजा धामसीन के खसरा नम्बर 3, 4 कुल रकबा 6.38 हेक्टेयर भूमि खातेदार कुशलाराम वगैरा कौम मेघवाल साकिन धामसीन के नाम से दर्ज है। मौजा मेडक कलां के खसरा नम्बर 784 एवं मौजा धामसीन के खसरा नम्बर 4 के मध्य सीमा का विवाद है।

5. उभयपक्ष अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 13 की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.11.2020 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस व जवाब में भी सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 784 व 4 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मेडककलां पटवार मण्डल जोडवास के नवीन खसरा नम्बर 784 [illegible] 1.38 हेक्टेयर व मौजा धामसीन के खसरा नम्बर 4 रकबा 6.37 हैक्टेयर के अ[illegible]जा[illegible] पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा क[illegible] दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि [illegible] पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24
Reason: SelfAttested

मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested